Sem 3:GE &DSC / Sem 5: Hons CC-12

पत्र : भारत में सांवैधानिक सरकार

अध्याय : मौलिक अधिकार

प्रस्तुतकर्त्ता–

निशा कोंगारी

ए0बी0एम0 कॉलेज,जमशेदपुर

मौलिक अधिकार

अर्थ – वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं।

6 मौलिक अधिकार –

- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरूद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार
- सांवैधानिक उपचारों का अधिकार

समानता का अधिकार(अनुच्छेद 14–18)

- **अनुच्छेद 14** – कानून के समक्ष समानता
- **अनुच्छेद 15** – धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना
- **अनुच्छेद 16** – सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अवसर
- **अनुच्छेद 17** – अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत
- **अनुच्छेद 18** – उपाधियों का अंत

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)

- **अनुच्छेद 19** –
  - विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (प्रेस की स्वतंत्रता)
  - अस्त्र–शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता
  - समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता
  - भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता
  - भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने या निवास करने की स्वतंत्रता
  - किसी भी आजीविका या रोजगार को अपनाने की स्वतंत्रता

- **<u>अनुच्छेद 20</u>** –अपराधियों के लिए अपराध निर्णय संबंधी सुरक्षा –
- अपराधी को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जा सकता जो कानून अपराध करते समय लागू नहीं हुआ था।
- किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता।
- किसी अपराधी को स्वयं के विरूद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

- **अनुच्छेद 21** – जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
- अनुच्छेद 21 A – शिक्षा का अधिकार (86वाँ संशोधन, 2002)

  राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा।
- **अनुच्छेद 22** – कुछ अवस्थाओं में गिरफ्तारी के विरूद्ध सुरक्षा–
- किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के संबंध में बताए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता।
- अपराधी को अपनी इच्छानुसार किसी वकील से परामर्श लेने की छूट है।
- अपराधी को कैद करने के बाद 24 घंटों के अंदर किसी निकटवर्त्ती कोर्ट के समक्ष पेश करना आवश्यक है।
- कोर्ट की आज्ञा के बिना किसी दोषी को 24 घंटों से अधिक बंदी नहीं रखा जा सकता।

लेकिन उपरोक्त अधिकार शत्रु राष्ट्र के वासियों और निवारक नजरबंदी के अधीन बंदी बनाए गए लोगों को प्राप्त नहीं है।

निवारक नजरबंदी – इसका अर्थ किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंद करना है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन् अपराध करने से रोकना है। जैसे– राष्ट्र की सुरक्षा(आतंकवादी गतिविधियों को रोकना), लोककल्याण, सार्वजनिक शांति, विदेशी मामलों के आधार पर आदि।

शोषण के विरूद्ध अधिकार(अनुच्छेद 23–24)

- **अनुच्छेद 23** – मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निषेध
- **अनुच्छेद 24** – कारखानों या खानों में बच्चों को लगाने की मनाही

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)

- **अनुच्छेद 25** –किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद 26** – धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद 27** – किसी विशेष धर्म के विकास के लिए कर देने की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद 28** – कुछ शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में शामिल होने की स्वतंत्रता

सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

- **अनुच्छेद 29** – अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 30** – अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसका प्रबंध करने का अधिकार।

सांवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद 32

मौलिक अधिकारों का हनन होने पर **अनुच्छेद 32** के तहत् सर्वोच्च न्यायालय तथा **अनुच्छेद 226** के तहत् उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। न्यायालय निम्न लेख जारी कर व्यक्ति को न्याय दिलाता है –

- बंदी–प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध
- उत्प्रेषण
- अधिकारपृच्छा

नोट– 44वाँ सांवैधानिक संशोधन, 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत् वैधानिक अधिकार बना दिया गया है।

———————————————————